सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 83/18 **निर्णय दिनांकः– 19.08.2019**

1. तोलाराम
2. पूनमचन्द
   पुत्रगण स्व0 रामनाथ जाति ब्राहमण निवासी कक्कु तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. दुलीचन्द पुत्र राधाकृष्ण
2. बालीदेवी पत्नी स्व. नारायणराम
3. बाबुलाल
4. भतीदेवी | पुत्रगण स्व. नारायणराम
5. पुष्पादेवी
6. संतोष देवी
7. अणचीदेवी
8. गोमन्दराम पुत्र राधाकिशन
9. लाली पत्नी स्व. रणछोड़
10. सुवटी पुत्री लक्ष्मीनारायण
11. रामचन्द्र पुत्र स्व. कालूराम
    जाति ब्राहमण निवासी कक्कु तहसील नोखा जिला बीकानेर।
12. भंवरलाल पुत्र जेठी जाति ब्राहमण निवासी हिम्मटसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री
दिनांक 04–06–2015 व संशोधिक आदेश दिनांक 18–09–2015
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मुकेश आचार्य, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 11
4. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 04—06—2015 व संशोधित आदेश दिनांक 18—09—2015 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कक्कू के गत् खसरा नम्बर 56 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 21 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 282 रकबा 15 बीघा 09 बिस्वा कुल 74 बीघा 05 बिस्वा भूमि पूर्वज चैनाराम के नाम से चली आ रही थी। चैनाराम की मृत्यु के पश्चात् उसके तीन पुत्र खुमाराम, कालूराम व मगनीराम के नाम से बहिस्सा बराबर 1/3 — 1/3 हिस्सा वादग्रस्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई। मगनीराम लाऔलाद फौत हो जाने के कारण वादग्रस्त भूमि पर खुमाराम व कालूराम के हिस्से में 1/2 —1/2 भूमि विरासतन प्राप्त हुई परन्तु मगनीराम की मृत्यु के उपरान्त उसकी भूमि कालूराम के पुत्र रामचन्द्र के अकेले के नाम दर्ज कर दी गई। जोकि गलत अंकन किया गया है। जिसके लिये अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वाद धोषणात्मक प्रस्तुत किया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के तीन खाते ग्राम कक्कु में स्थित हैं जिसमें निम्न प्रकार से सभी सह

खातेदार/हिस्सेदारान् का हक व हिस्सा निहित है जिसमें से खसरा नम्बर 112 रकबा 54 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नम्बर 301 रकबा 47 बीघा 12 बिसवा कुल 102 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से दुलीचन्द नारायणराम, गोविन्दराम पुत्र राधाकिशन का 1/2 हिस्सा व तोलाराम, पूनमचन्द पुत्र रामनाथ का 1/2 हिस्सा अर्थात प्रत्येक के 51 बीघा 05 बिस्वा भूमि आती है। जिसमें से नारायणराम, गोविन्दराम ने 54 बीघा 18 बिस्वा भूमि विक्रय कर दी गई। इसी प्रकार खसरा नम्बर 56 में तादादी 36 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 281 में 21 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 282 में 15 बीधा 09 बिस्वा कुल 74 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें से दुलीचन्द, नारायणराम, गोविन्दराम पुत्र राधाकिशन का 1/3 हिस्स अर्थात 12 बीघा 07 बिस्वा भूमि, तोलाराम, पूनमचन्द पुत्र रामनाथ का 1/3 हिस्सा अर्थात 12 बीधा 07 बिस्वा भूमि, लक्ष्मीनारायण पुत्र खुमाराम का 1/3 हिस्सा अर्थात 12 बीघा 07 बिस्वा व रामचन्द्र पुत्र कालूराम का 1/2 हिस्सा अर्थात 37 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 59 में रकबा 131 बीघा 12 बिस्वा भूमि में से हरीराम पुत्र जीयाराम का 1/2 हिस्सा अर्थात 65 बीघा 16 बिस्वा, खुमाराम, कालूराम का 1/2 हिस्सा अर्थात 65 बीघा 16 बिस्वा भूमि जिसमें से दुलीचन्द, नारायणराम, गोविन्दराम पुत्र खुमाराम का 10 बीघा 19 बिस्वा, तोलाराम, पूनमचन्द पुत्र रामनाथ का 10 बीघा 19 बिस्वा व लाली बेवा रणछोड़, सुवटी, जेठी पुत्रियॉ लक्ष्मीनारायण का 11 बीघा भूमि हिस्सा निहित है। इसमें से नारायणराम पुत्र राधाकिशन ने समस्त 65 बीघा 16 बिस्वा भूमि का विक्रय कर दिया गया। इसप्रकार उत्तराधिकारियों द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय कर दिया गया। ऐसी स्थिति में शेष बची हुई भूमि पर उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रश्न पर कतई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। कानून का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि कोई भी सहहिस्सेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकता है। यदि ऐसा किया भी गया है तो ऐसा विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व बिना किसी युक्तियुक्त आधार के आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील कैम्प कोर्ट कक्कु में पारित किया गया है तथा प्रकरण कैम्प कोर्ट दोनों पक्षों की समझाईश हेतु रखा गया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सकरार की मंशा के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅंचाने की नियत मात्र से आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार धोषित किया गया है जोकि गलत है क्योंकि उसके हिस्से में कोई भूमि शेष बची ही नहीं है। इसलिए उसे कानूनन खातेदार धोषित नहीं किया जा सकता है। कानून का यह स्पष्ट सिद्वान्त है कि धोषणा प्राप्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अंकन के पश्चात् ही विभाजन का वाद लाया जा सकता है, परन्तु इस मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों रिलिफ एक साथ प्रदान करते हुए कानून के सिद्वान्तों की अवहेलना की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 नारायणराम का स्वर्गवास हो जाने की सूचना प्रस्तुत हुई थी तथा उसके जायज उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु उनके विरूद्व कोई कार्यवाही किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। कानून की यह स्थिति है कि किसी पक्षकार के फौत होने पर उसके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कानूनी बिन्दु पर कोई ध्यान दिया गया ना ही अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅंचानें व राजस्व कैम्प के आंकड़ों को बढ़ाने क उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया ही साबित है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर राजस्व कैम्प का सहारा लेते हुए पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा व विधि विरूद्व आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1987 एससी पेज 1353, आरआरडी 1992 पेज 518 व आरएलडब्ल्यू 2009 पार्ट I पेज 151 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। जिसमें से वादी ने सुवटी पुत्री लक्ष्मीनारायण से उसका हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23—07—2012 को क्रय किया गया। जिसका इन्द्राज उपपंजीयक नोखा की पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 466 मय पृष्ठ संख्या 106 पर दिनांक 24—07—2012 दर्ज है खरीद कर लिया गया है। इसप्रकार उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/8 हिस्से का तथा 1/18 हिस्सा सुवटी का कुल आराजी में 1/9 हिस्से तादादी 2.0866 हेक्टर भूमि का खातेदार धोषित करने का अधिकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख 1/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह साबित था कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार मगनीराम के लाऔलाद फौत होने पर मगनीराम का पूर्ण हिस्सा कालूराम के हिस्से में जोड़ते हुए इंतकाल संख्या 532 दर्ज किया गया तथा वादग्रस्त भूमि का खुमाराम के नाम 1/3 हिस्सा व कालूराम के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि कानूनी रूप से मगनीराम का हिस्सा उसके सगे भाई खुमाराम व कालूराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही वादग्रस्त भूमि में खुमाराम व कालूराम प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके रोही कक्कू

के खेत खसरा नम्बर 235 रकबा 9.45 हेक्टर, खसरा नम्बर 994 रकबा 4.94 हेक्टर व खसरा नम्बर 995 रकबा 3.90 हेक्टर कुल किता 3 रकबा 18.78 हेक्टर भूमि में दुलीचन्द का 2.09 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6 व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/9 हिस्सा अर्थात 2.09 हेक्टर हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 व 5 मु. लाली पत्नी स्व. रणछोड़ व जेठी पुत्री रणछोड़ का 1/9 हिस्सा अर्थात 2.08 हेक्टर, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 तोलाराम, पूनमचन्द पिसरान रामनाथ का 1/2 हिस्स अर्थात 3.13 हेक्टर, रामचन्द्र पुत्र कालूराम का 1/2 हिस्सा अर्थात 9.39 हेक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के हक व हिस्से का निर्धारण करते हुए पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। अपीलांट मात्र तकनीकी आधार का सहारा लेते हुए अपील के माध्यम से उक्त निर्णय को खारिज करवाना चाहते है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील में मियांद कण्डोन करने के वर्णित कारण संतोषजनक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 1999 पेज 56, आरआरडी 1964 पेज 338, आरआरडी 1955 पेज 252, आरआरटी 2015 पार्ट I पेज 232, आरबीजे 2016 पेज 20, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 154, आरएलडब्ल्यू 2013 पार्ट II पेज 1248 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04–06–2015 व संशोधित आदेश दिनांक 18–09–2015 के विरूद्व अपील दिनांक 26–09–2018 को तीन साल के विलम्ब के साथ पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है जबकि उन्हें प्रकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। इस संबंध में अपीलाधीन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे तथा राजस्व शिविर में पारित किया गया है। यदिएकतरफा कार्यवाही के उपरान्त भी उपलब्ध रिकार्ड तथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय हुआ हो तो ऐसे निर्णय का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण होना चाहिए। कानूनी प्रावधानों के विपरीत तथा प्रभावित पक्षकार के साथ घोर अन्याय की स्थिति में विलम्ब का प्रश्न गौण हैं अतः अपीलांट की धारा 5 मियांद अधिनियम की दरखवाश्त स्वीकार की जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादी दुलीचन्द द्वारा दिनांक 05–10–2012 को प्रस्तुत वाद मे वादपत्र के बिन्दु संख्या 6 में दिनांक 12–06–1969 को स्वीकृत इंतकाल को शून्य धोषित करवाकर मगनीराम के हिस्से की भूमि उसके शेष दो भाईयों में बराबर–बराबर करने तथा उक्त प्रकार से हिस्से की धोषणा के आधार पर तैयार रिकार्ड के आधार पर भूमि का विभाजन करने क अनुतोष पर आधारित वाद पेश किया गया। प्रतिवादी तोलाराम के सम्मन की तामीली उसके पुत्र प्रतिवादी संख्या 7 पूनमचन्द की तामीली उसके पुत्र तथा प्रतिवादी संख्या 8 रामचन्द्र की स्वयं को तामीली की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही होने के उपरान्त उन्होनें उक्त कार्यवाही अपास्त करवाने के लिये दिनांक 03–07–2014 को दरखवाश्त पेश की। उक्त दरखवाश्त का निर्णय ही नहीं किया गया तथा न ही वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को शपथ पत्र द्वारा प्रदर्शित करवाया गया तथा राजस्व शिविर में प्रतिवादीगण की गैरमौजूदगी में दावा डिक्री कर दिया गया।

वाद का मुख्य अनुतोष 42 वर्ष पूर्व स्वीकृत इंतकाल को शून्य धोषित करते हुए उक्त तिथि की राजस्व रिकार्ड की स्थिति को बहाल

करना तथा गत् 42 वर्षो के दौरान मृतक खातेदारों के वारिसों के विरासतन अधिकारों तथा विक्रयपत्रों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा का था। वादी ने गत् 42 वर्षो पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये निर्णय को शून्य धोषित करवाने हेतु वाद के साथ मियांद अधिनियम की धारा 5 के तहत दरखवाश्त पेश नहीं की तथा ना ही यह स्पष्ट किया कि वादकारण कब पैदा हुआ।

इसी तरह वादी के पिता राधाकिशन द्वारा दिनांक 20—10—1970 को खसरा नम्बर 112 में से अपने हिस्से से अधिक भूमि किशनसिंह वगैरह को विक्रय कर देने के उपरान्त उक्त विक्रय पत्रों का अन्य सहखातेदारों के हिस्से पर हुए प्रभाव का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसप्रकार वादी न वाद से संबंधित तथ्यों को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया है। परीक्षण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई का मौका दिये बिना व आवश्यक साक्ष्यों के बिना ही राजस्व शिविर में दावा डिक्री करने में भूल की है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04—06—2015 व संशोधित आदेश दिनांक 18—09—2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारों को पुनः सुनवाई तथा शहादत पेश करने का अवसर प्रदान करते साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए तथा अपीलांट् की आपत्तियों को सुनने के उपरान्त नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19—08—2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर